कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्रारं / नियु.2 / नि.प्र. / 982 / शि.भ–18 / लेवल–प्रथम / गै.अ. / 2018 दिनांकः 20.5.19

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) **रजिस्टर्ड–पत्र**
प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल–प्रथम के पद पर पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों के जिला परिवर्तन उपरान्त अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षक भर्ती–2018 अन्तर्गत लेवल–प्रथम के पद पर चयन रिशफल / प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर पदस्थापन के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.05.2019 जारी कर काउंसलिंग कैलेण्डर व दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, उक्त भर्ती अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के जिला परिवर्तन हुए हैं, उनके संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. चयन रिशफल में पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है, उन अभ्यर्थियों को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही संबंधित पी.ई.ई.ओ द्वारा कार्यमुक्त किया जावे।
2. पीईईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यमुक्त किये जाने के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय) द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से अन्य जिलों हेतु कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति दी जाकर कार्यमुक्त किया जावे।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा सन्दर्भ केन्द्रों / विद्यालयों में ऑफलाईन कार्यग्रहण किया हुआ है, उन अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था प्रधान द्वारा अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय) कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय) द्वारा अन्य जिलों हेतु ऑफलाईन कार्यमुक्त किया जायेगा।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन कार्यग्रहण किया हुआ है उनको किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
5. संबंधित पीईईओ / संस्था प्रधान द्वारा जिला परिवर्तित हुए अभ्यर्थियों को दिनांक 12.06.2019 के बाद ही कार्यमुक्त किया जावे, उक्त तिथि से पूर्व कार्यमुक्त किये जाने पर संबंधित पीईईओ / संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जावें।
6. नये जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय) द्वारा अन्य जिलों से आये अभ्यर्थियों को अपने कार्यालय में ऑफलाईन / ऑनलाईन कार्यग्रहण करवाया जाकर रजिस्टर संधारित करते हुए प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करावें।
7. पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों का यदि जिला यथावत है तो उसके संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त करने / मोनेटरिंग करने हेतु अपने कार्यालय में कन्ट्रोल रूप स्थापित कर काउंसलिंग / पदस्थापन संबंधी कार्य की पूर्ण मोनेटरिंग की जावे तथा पदस्थापन / नियुक्ति हेतु जारी पत्र दिनांक 15.05.2019 के अनुसार जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

आप नव चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन / नियुक्ति / पदस्थापन के संबंध में अपने जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सम्पर्क कर निर्धारित कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज
(प्राशि) राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. उपायुक्त शाला दर्पण पोर्टल, स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि नव चयनित / जिला परिवर्तित होकर आये अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त / कार्यग्रहण के संबंध में तथा इनकी काउंसलिंग कराने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर अवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज
(प्राशि) राजस्थान
बीकानेर